केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/254 दिनांक: 29.07.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00253
CICOM/R/2016/00547

अपीलकर्ता : श्री नरेश कुमार,
404/10 बाबरा मौहल्ला,
रोहतक ।

सुनवाई की तारीख : 28.07.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.04.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	28.04.2016, 12.05.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर.एल.गुप्ता, श्री बाबू लाल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.05.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	141177/02.06.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	347/10.06.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दो बिंदुओं पर दिनांक 17.02.2014 को आयोग को भेजी गई शिकायत एवं आयोग के आदेश सं. CIC/BS/A/2014/000369/6822 के अनुपालन में की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी थी । मामले की सुनवाई दिनांक 28.07.2017 को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसमें अपीलकर्ता के अलावा श्री आर.एल.गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.एस. कार्यालय तथा श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय उपस्थित हुए ।

2. सुनवाई के दौरान श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय ने आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं.1 के संदर्भ में बताया कि अपीलकर्ता की शिकायत की सुनवाई हो चुकी है तथा अपीलकर्ता ने भी सहमति जताई की उन्हें वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है । बिंदु सं 2 के संदर्भ में श्री आर.एल.गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.एस. कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि आयोग के आदेश सं. CIC/BS/A/2014/000369/6822 के संदर्भ में डाक विभाग, रोहतक द्वारा दिनांक 27.07.2016 को जारी पत्र के माध्यम से आदेश का अनुपालन किया जा चुका है, चूंकि एक दिन पूर्व ही अर्थात दिनांक 27.07.2016 को पत्र जारी किया गया है, इसलिए हो सकता है कि अपीलकर्ता को अभी प्राप्त नहीं हुआ हो, अपीलकर्ता ने भी इस सहमति जताई । सुनवाई के दौरान प्रदान की गई सूचना एवं प्रस्तुत किए गए संबंधित ब्यौरे से अपीलकर्ता द्वारा पूर्ण सहमति एवं संतुष्टी व्यक्त की गई । अपीलकर्ताक के सुलभ संदर्भ हेतु डाक विभाग, रोहतक द्वारा दिनांक 24.03.2015 एवं 27.07.2016 को जारी किए गए पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

OK

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
03 AUG 2016

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
03 AUG 2016
D No.
Initial

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर.एल.गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.एस. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली

3/8/16

3/8/16

IC(BS)
on behalf.